राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग
ई–मेल : higheredu3@rajasthan.gov.in, higheredu3@gmail.com, दूरभाष : 0141–6153222, 6153223, 6153660 (आई.पी. नं. : 24870)

क्रमांक प. 6(8)शिक्षा/ग्रुप–3/2023 जयपुर, दिनांकः– 08.06.2023

–: आदेश :–

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 09.05.2023 को मावली(उदयपुर) में की गयी घोषणा की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 09.05.2023 के क्रम में राजकीय महाविद्यालय, मावली जिला–उदयपुर को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करते हुए स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

क्र. सं.	महाविद्यालय	बजट मद	संकाय	विषय	पदनाम	स्वीकृत पद
1.	राजकीय महाविद्यालय, मावली जिला–उदयपुर	2202–03–103–02–00	स्नातक स्तर– विज्ञान संकाय (02 वर्गः–1 गणित समूह, 1 बायो समूह) वाणिज्य संकाय (01 वर्ग)	रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, प्राणीशास्त्र, भौतिकशास्त्र, गणित, ए.बी.एस.टी., व्या.प्रशासन, ई.ए.एफ.एम.	सहायक आचार्य	08
					प्रयोगशाला सहायक	04
					प्रयोगशाला वाहक	04
			स्नातकोत्तर स्तर	राजनीति विज्ञान	सहायक आचार्य	02
					कुल	18

(1) उक्त महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय प्रारम्भ करने हेतु सृजित नवीन कुल 18 पद राजसेस सोसाइटी के अधीन रहेंगें।

(2) सोसाइटी के तहत कार्मिकों की उपलब्धता होने तक नवीन महाविद्यालयों में विद्या संबल मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा।

(3) अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव (04 प्रयोगशाला कक्षों के निर्माण के अतिरिक्त) के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

(4) 04 प्रयोगशाला कक्षों के निर्माण के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय राजकीय महाविद्यालय में विद्यमान भवन/कक्ष को दृष्टिगत रखकर प्रस्ताव का पुनः परीक्षण करते हुए मय तकमीना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(5) माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2023–24 के बिंदु संख्या 348.15.0 में 30 महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत करने की घोषणा में ही राजकीय महाविद्यालय, मावली के कमोन्नयन हेतु उक्त स्वीकृति सम्मिलित मानी जावेगी।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–1) विभाग की आई.डी. संख्या 152301019 दिनांक 01.06.2023 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बिजमोहन नोगिया)
शासन उप सचिव–प्रथम

Signature valid
Digitally signed by Bij Mohan Nogia
Designation : Deputy Secretary
Date: 2023.06.08 17:59:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4007119

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (एच.डी.), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–1) विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
8. संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग।
9. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
10. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. मुख्य लेखाधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव–प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Brij Mohan Nogia
Designation : Deputy Secretary
Date: 2023.06.08 16:59:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4007119

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http//hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdplan.cce@gmail.com Phone : 0141-2706847 (o)

क्रमांक: एफ 6(13) आयो/आकाशि/सीएम घोषणा/2023/07012

विषय:- राजकीय महाविद्यालय, मावली में स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय खोलते हुये क्रमोन्नत किये जाने तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भ:- शासन उप सचिव-प्रथम का पत्रांक प.6(8)शिक्षा/ग्रुप-3/2023 दिनांक 06.08.2023

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ:

1 महालेखाकार, लेखा एवं हक राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. सयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1 कुल सचिव, संबंधित विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि राजकीय महाविद्यालय मावली में खोले गये उक्त संकाय/विषय को बिना विलंब शुल्क सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करें।
2 संयुक्त निदेशक, अकादमिक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि राजकीय महाविद्यालय मावली में खोले गये संकाय/विषय में प्रवेश संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3 संयुक्त निदेशक, एचआरडी, प्रशासन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय मावली को भेजकर लेख है कि खोले गये संकाय/विषय की संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता, प्रवेश व अन्य आवश्यक कार्यवाही करे तथा उक्त हेतु आवश्यक अतिरिक्त प्रयोगशाला निर्माण के संबंध में महाविद्यालय में विद्यमान भवन/कक्ष को दृष्टिगत रखते हुये यथोचित प्रस्ताव मय तकमीना तैयार कर भिजवायें ।
5 वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने बाबत।
6 रक्षित पत्रावली।

(डॉ. विमलेश सोनी)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

Signature valid
Digitally signed by Vimlesh Soni
Designation : Associate Professor
Date: 2023.06.08 21:00:05 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4009574